बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 05 मई, 2013 को, गया जिला मे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की गरिमामयी उपस्थिति एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, की अध्यक्षता में पटना एवं जहानाबाद जिला में चलाये जा रहे जापानी इन्सेफलाइटिस अभियान की समीक्षात्मक बैठक एवं AES (Acute Encephalitis Syndrome) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

उपस्थिति :

1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल
2. सचिव, समाज कल्याण विभाग
3. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका
4. जिला पदाधिकारी, गया
5. निदेशक प्रमुख, स्वा0 विभाग
6. क्षेत्रीय उप निदेशक (स्वा0 सेवायें), मगध प्रमंडल
6. सभी सिविल सर्जन (मुजफ्फरपुर प्रमंडल, खगड़िया, कैमूर एवं बांका जिला को छोड़कर) एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, गया पटना एवं जहानाबाद
7. राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
8. यूनिसेफ एवं जीविका, के प्रतिनिधि
9. मगध प्रमण्डल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
10. AES के राज्य टास्क फॉर्स के सदस्य, डा.ए.के.ठाकुर, डा. रवि, डा. निगम प्रकाश नारायण
11. प्राचार्य /अधीक्षक, ए.एन.एम.एम.सी./एच. गया

कार्यशाला में जे.ई. अभियान की गहन समीक्षा की गयी तथा AES – SoP का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में निम्न निर्णय लिये गए।

क्रम संख्या	निर्णय	उत्तरदायित्व
1	जहानाबाद जिला में जहाँ स्कूल में आच्छादन हेतु ए.एन.एम. की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ जे.ई. टीकाकरण हेतु ए.एन.एम.एम.सी.एच. गया जिला से प्रशिक्षु ए.एन.एम.एम.सी.एच. को लाकर टीकाकरण कार्य कराया जाये। प्रशिक्षुओं के ठहरने, परिवहन एवं भोजन आदि का प्रबंध जहानाबाद सिविल सर्जन करेंगें। इस पर होनेवाले व्यय का वहन जे.ई. मद में उपलब्ध राशि से की जा सकती है।	अधीक्षक, ए.एन.एम.एम.सी.एच., आर. डी.डी.(स्वास्थ्य सेवाये), मगध प्रमंडल एवं सिविल सर्जन, गया एवं जहानाबाद
2	सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रत्येक दिन शाम को Evening Briefing होगा तथा जिला मुख्यालय में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की समीक्षा होगी। किसी भी परिस्थिति में 95 % से कम आच्छादन नहीं हो, इसके लिए कोशिश हो ।	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ सिविल सर्जन
3	स्कूलों में उपस्थिति कम रहने के कारण जे.ई. टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को आच्छादित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई करें।	सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / सिविल सर्जन
4	जे.ई. टीकाकरण के लिए पल्स पोलियो की तरह House To House निशान लगवाना सुनिश्चित करें।	सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधेकारी (आई.सी.डी.एस.)
5	दूरस्थ स्थानों का आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु ए.एन.एम. के परिवहन की व्यवस्था।	सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा

		पदाधिकारी
6	AES case हेतु 108, 102 की सेवा निःशुल्क उपलब्ध हो।	सिविल सर्जन
7	ICU हेतु चिकित्सकों का प्रशिक्षण कराना	डा.डी.के.रमण, राज्य स्वास्थ्य समिति
8	मलेरिया, कालाजार एवं फलेरिया का Treatment Protocol तैयार कर सभी स्तर तक पहुँचवाना।	राज्य टास्क फॉर्स / निदेशक प्रमुख
9	जिन जिलों में AES से गत वर्ष 5 या 5 से अधिक मृत्यु प्रतिवेदित हुई थी, उन जिलों में विशेष ध्यान दिया जाये।	संबंधित जिलों के सिविल सर्जन एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी
10	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीविका एवं महिला समाख्या को AES संबंधित Leaflets एवं Pamphlets का वितरण सुनिश्चित किया जाये।	राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति / सिविल सर्जन
11	AES के SOP की जानकारी एवं प्रशिक्षण सभी PHC/SDH/RH/DH तक सुनिश्चित करना।	सभी सिविल सर्जन
12	सभी आशा एवं ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता को AES के संबंध में समुदाय स्तर पर की जाने वाली कारवाईयों हेतु प्रशिक्षित करना।	सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
13	अस्पतालों में विशेष AES Ward सुनिश्चित किये जायें।	सिविल सर्जन / अधीक्षक चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल
14	माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के संदेश के साथ AES. SOP को राज्य स्वास्थ्य समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर अपलोड कराना।	राज्य स्वास्थ्य समिति /राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मलेरिया / कालाजार)
15	फॉगिंग मशीन सभी जगहों पर उपलब्ध करवाना।	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मलेरिया, कालाजार एवं फलेरिया)/ निदेशक प्रमुख
16	Mobile Medical Team का गठन एवं हमेशा तैयार रहना।	सिविल सर्जन
17	सभी जिलों एवं चिकित्सा महाविधालयों में कंट्रोल रूम हो, ताकि Mobile Medical Team को सही जगह पर भेजा जा सके।	सिविल सर्जन
18	राज्य स्तर पर AES का प्रतिदिन Press Briefing करें।	निदेशक प्रमुख / अपर सचिव (श्री ओझा जी)
19	AES – SoP का मुद्रण एवं जिलों में वितरण।	राज्य स्वास्थ्य समिति
20	मुद्रित प्रतियों को चिकित्सकों के बीच वितरण	सिविल सर्जन / अधीक्षक, चिकित्सा महाविधालय अस्पताल
21	AES – SoP के अनुसार चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों के शिशु रोग विभाग/माइक्रोबायोलॉजी / पैथोलॉजी/रेडियोलॉजी विभागों की तैयारी एवं समन्वय	अधीक्षक, चिकित्सा महाविधालय अस्पताल

कार्यशाला में उपस्थित सचिव कल्याण विभाग एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका ने AES के SoP के आलोक में अपने विभागों की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में बैठक की कार्यवाही धन्यवाद सहित समाप्त की गई।

ह०/–
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य

ज्ञापांकः SHSB/RI/327 / 10 / पार्ट / 4245 दिनांक 16/05/13

प्रतिलिपिः

1. सचिव, समाज कल्याण विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक प्रमुख, स्वा0 विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक (स्वा0 सेवायें), मगध प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. सभी सिविल सर्जन एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
7. यूनिसेफ, जीविका, नीपी – यूनॉप्स एवं पाथ के प्रतिनिधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
8. राज्य टास्क फॉर्स – श्री ए.के.ठाकुर, डा.रवि एवं डा. निगम प्रकाश को सूचनार्थ प्रेषित।
9. डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति को AES के SoP को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10 आई.टी. ऑफिसर,स्वाथ्य विभाग को AES के SoP को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11 डा.डी.के.रमण, रा0स्वा0स0 को चिकित्सा पदाधिकारियों को आई.सी.यू. का प्रशिक्षण कराने के संबंध में।
12 प्राचार्य / अधीक्षक , सभी चिकित्सा महाविधालय अस्पातल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
13 राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कालाजर / मलेरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
14 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी – आईसी.डी.उस., पटना एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/16/5

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य